भालाराम बनाम सरकार

मु0नं0 136/2023

पत्रावली पेश हुई। उप–तहसीलदार दंतौर की रिपोर्ट पत्रांक /393 दिनांक 22.09.23 अनुसार चक 3 एमजीडब्ल्युएम (ओल्ड) का मु0नं0 78/29 के किला नं0 1 ता 25 की कुल रकबा 6.3225 है0 अ0क0 भूमि में पालाराम पुत्र रामप्रताप हिस्सा पूर्ण जाति जाट निवासी प्रेमनगर तहः रावतसर जिला हनुमानगढ़ विशेष आवंटी दर्ज रिकॉर्ड है तथा ना0सं0 140 दिनांक 30.05.2000 से पालाराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी प्रेमनगर तहः रावतसर वि0आ0 का ना0करण दर्ज है। मुताबिक सैल रजिस्टर अनुसार भालाराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी प्रेमनगर तहः रावतसर हनुमानगढ़ को चक 3 एमजीडब्ल्युएम (ओल्ड) के मु0नं0 78/29 किला नं0 1 ता 25 की 25.00 बीघा अनकमाण्ड बतौर विशेष आवंटन दर्ज है। भूमि किश्त पेटे किश्तों की समस्त राशि जमा का अंकन है। अन्य किसी प्रकार का नोट अंकन नहीं है। उक्त रकबा से संबंधित मूल आवंटन पत्रावली की नकल कार्यालय जिला अभिलेखागार, कलेक्ट्रेट, बीकानेर के नकल क्रमांक 2436 दिनांक 1.8.23 प्रस्तुत है। उक्त पत्रावली में आवेदन पत्र व फर्दअहकाम में प्रार्थी/आवंटी का नाम भालाराम अंकित है।

पत्रावली पर सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व रिपोर्ट तहसीलदार खाजूवाला व कार्यालय जिला अभिलेखागार, कलेक्ट्रेट, बीकानेर के मूल आवंटन पत्रावली के नकल क्रमांक 2436 दिनांक 1.8.23 के आधार पर प्रार्थी का पालाराम की जगह भालाराम दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य है इसलिए धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट व धारा 151 सीपीसी में प्रदत्त शक्तियों/प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुवे प्रार्थी का प्रार्थनापत्र कार्यालय जिला अभिलेखागार, कलेक्ट्रेट, बीकानेर के मूल आवंटन पत्रावली के नकल क्रमांक 2436 दिनांक 1.8.23 व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं चक 3 एमजीडब्ल्युएम (ओल्ड) के मु0नं0 78/29 किला नं0 1 ता 25 की 25.00 बीघा अनकमाण्ड के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम पालाराम की जगह भालाराम दुरस्ती के आदेश किये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक अमलदरामद करें। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।